IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD
(In response to the order dated 20.02.2024)

in

Original Application No. 305/2022
(I.A. No. 854/2023, I.A. No. 751/2023,
I.A. No. 215/2022 & I.A. No. 149/2022)

Vipin Nayyar ... Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1 - 1
2.	Response Affidavit	2 - 5
3.	**Annexure No. 1**: Copies of application processing sheet and reply submitted by applicant.	6 - 27
4.	**Annexure No. 2**: Copy of Consolidated Consent & Authorization (CCA) issued on 13.02.2024.	28 - 31
5.	**Annexure No. 3**: Copy of letter dated 02.03.2024.	32 - 32

Dated: March, 2024

Advocate
(Counsel for the UKPCB)

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF

UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

(In response to the order dated 20.02.2024)

in

Original Application No. 305/2022

(I.A. No. 854/2023, I.A. No. 751/2023, I.A. No. 215/2022, and I.A. No. 149/2022)

Vipin Nayyar ... Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

AFFIDAVIT of Dr. Raj Kumar Chaturvedi, aged about 51 years, S/o Shri Ramswaroop Chaturvedi Presently posted as Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office, Dehradun.

Deponent

NOTARY
Birendra Singh
Advocate
Reg.No.58(01)2022
Doiwala. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Regional Office,

Dehradun and is duly authorized by the competent authority to sign and swear the instant affidavit.

2) That this Hon'ble Tribunal vide order dated 20.02.2024 was *inter-alia* pleased to direct Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand as under: -

"…. *7. UKSPCB has not filed copy of order/letter whereby the application for consent was returned and copy of order whereby consent to operate was granted to the project proponent and to show what were the deficiencies pointed out and when the deficiencies were rectified. UKSPCB is directed to file copies of the same at least two days before the date of hearing fixed herein after.*

21. In view of the facts and circumstances of the case, involvement of questions regarding the very nature of the land in question, provisions made in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating this Tribunal to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19 (4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010 the Project Proponent is directed not to carry on commercial activities in the Moga Resort and CTO dated 13.02.2024 granted by UKSPCB shall remain in abeyance till further orders to the contrary.

…"

NOTARY
Birendra Singh
Advocate
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

3) That in compliance of the aforementioned directions, it is to mention that in continuation of Consolidated Consent & Authorization (hereinafter referred to as CCA) application of M/S Mogha Ji Resort, M/S Mogha Ji Resort, Veerpur Khurd, Virbhadra, Rishikesh, Dehradun, the Board has pointed out the some deficiencies related to land use certificate, details of bio-digester, copy of joint inspection report of Forest & Revenue department. The applicant has submitted documents and replied w.r.t. to deficiencies reported. Copies of application processing sheet and reply submitted by applicant is being marked and filed as **Annexure No.1 (colly)** to this affidavit.

4) That, after submission of required documents/replies, CCA was approved and issued CCA order on dated 13.02.2024. In this connection, copy of CCA order dated 13.02.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

NOTARY
Birendra Singh
Advocate
Reg.No.58(01)2022
Doiwala. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

5) That the UKPCB vide letter bearing no. UKPCB/HO/S. No.183-566/2024/1535 dated 02.03.2024 informed the District Magistrate, Dehradun and Senior Superintendent of Police, Dehradun to take necessary actions in furtherance of the directions dated 20.02.2024 issued by the Hon'ble Tribunal and inform the office regarding the same. In this connection, copy of letter dated 02.03.2024 is being marked and filed as **Annexure No.3** to this affidavit.

6) The deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

I, ..., Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be .... is the same person who is known to me from the papers produced by him before me in this case.

NOTARY
Birendra Singh
Advocate
Reg.No.58(01)2022
Doiwala. Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

....
Advocate
Enrol. No. .....

Solemnly affirmed before me on this day of March, 2024 at Dehradun at about 3·48 AM/PM by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit.

The person has signed in my presence on the affidavit.

S.R. No 359.
2024

This affidavit is sworn before me by Notary
Shri...Dr. Raj Kumar Chaturvedi
who is identified by Shri...Dr. Aman Rab
At Doiwala Dehradun on..................

Birendra Singh
Advocate & Notary
Doiwala, Dehradun
28.03.2024

Application Details [print]

Annexure No. 1

Industry Name : MOGHA JI RESORT

Category Name : GREEN

Address : VEERPUR KHURD VEERBHADRA RISHIKESH Dehradun

District Name : Dehradun

Cap Inv(in Lakh) : 50.0

Net Asset Value(in Lakh): 50.0

Consent Type : CTO

Certificate For: reNew

AppId/Caf Id : 2672936/9712

Application Date : 02/06/2022

Industry Type : Non Industrial

Date Time: 03-06-2022 10:24
Note By: RO(205)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description:
Activity: Inspection
Description:

Date Time: 09-06-2022 11:41
Note By: Inspecting Officer 7(209)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description:
Activity: Return
Description: pls submit land use certificate

Activity: Forward
Activity: Application Re-Submitted
Note By: (Industry)
Description: we upload required document
Date Time: 03-07-2022 11:09
Forwarded To: RO

Date Time: 04-07-2022 10:10
Note By: RO(205)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description: Scrutiny, inspection and put up report

Date Time: 15-09-2022 11:46
Note By: Inspecting Officer 7(209)
Forwarded To: Inspecting Officer 7
Activity: Forward
Description:
Activity: Return
Description: Pls upload land use/ conversion certificate.

Activity: Forward

Activity: Application Re-Submitted

Note By: (Industry)

Description: we upload bio digestor documents and also upload joint inspection report of forest and revenue department. we also upload affidavit for 143

Date Time: 11-10-2023 06:30

Forwarded To: Monitoring Cell

Date Time: 12-10-2023 10:20

Note By: Monitoring Cell(206)

Forwarded To: RO

Activity: Forward

Description:

Date Time: 12-10-2023 12:17

Note By: RO(205)

Forwarded To: Inspecting Officer 7

Activity: Forward

Description: pls put up report in light of NGT matter OA 305/2022

Date Time: 02-12-2023 02:39

Note By: Inspecting Officer 7(209)

Forwarded To: RO

Activity: Forward

Description: Matter is under consideration, honorable. NGT court.

Date Time: 14-12-2023 10:22

Note By: RO(205)

Forwarded To: RO

Activity: Forward

Description:

Activity: Return

Description: Matter is under consideration at Hon`ble NGT, Ddecision on CCA shall be taken accordingly, pls submit file after deceision of Hon`ble court

Activity: Forward

Activity: Application Re-Submitted

Note By: (Industry)

Description: we upload requried document as per query

Date Time: 13-02-2024 10:32

Forwarded To: Monitoring Cell

Date Time: 13-02-2024 10:55

Note By: Monitoring Cell(206)

Forwarded To: RO

Activity: Forward

Description:

Date Time: 13-02-2024 11:00

Note By: RO(205)

Forwarded To: Inspecting Officer 7

Activity: Forward

Description: pls put up report

Date Time: 13-02-2024 11:53

Note By: Inspecting Officer 7(209)

Forwarded To: RO

Activity: Forward

Description: IR fwd. for necessary action pls.

Activity: Inspection Closed

Date of Inspection: 2024-02-13

Description:

In context of M/s Moga Ji Resort, Veerpur Khurd, Virbhadra, Rishikesh, Dehradun, CCA–Fresh application of the Unit, following facts is submitted:

A. General Detail:

I. Unit is engaged in Hotel Servicing with following details:

Product	Raw Material	Manufacturing Process
Room-19 Applied, * Restaurant-01	-	Hotel Servicing

*16 rooms, 02 hall, for Commercial activity, rest 04 rooms were self-used by the proponent.

II. Last CCA issued to the Unit with validity up to Fresh

B. Operational Status: At the time of inspection, Unit & Its Water Pollution Control, Air Pollution Control systems were operational.

C. Water Pollution sources & control measures:

Effluent discharge	Pollution Control system /disposal	Operational/compliance Status
Trade/Process effluent: -	-	-
Domestic effluent: 5.0 KLD	Biodigester	-

D. Air Pollution sources & control measures:

Emission Source	Number of Melting Furnace/DG Set	Fuel	Pollution Control System	Operational /Compliance Status
DG Set: 62.5 KVA	01	HSD	Acoustic enclosure & Stack.	Acoustic enclosure& Stack.

E. Hazardous Waste Management: Storage Facility: found established; Disposal: -

F. Plastic Waste Management: Storage Facility: found established; Disposal: -

G. Application Fee details: Unit has submitted Total amount of Rs. 7000/- fee against CCA fresh fee up to 31.03.2024. Net Asset Value: Rs. 10 Lac. To Rs. 50 Lac Slab.; Scale-Small; Category: Green.

H. Recommendations: As per above site observation Forwarded for necessary action pls.

a- Out side from Reserve Forest Boundary.

b- Distance from river uploaded.

c- Land use applied. Affidavit uploaded.

d- Joint report of forest & revenue dept. Uploaded.

Date Time: 13-02-2024 12:15
Note By: RO(205)
Forwarded To: RO
Activity: Forward
Description: CCA fresh granted up to 31-3-2024 with conditions to avide final decesion of Hon`ble NGT in thet matter of OA 305/2022
Activity: Approved
Description: Provisional Certificate has been issued View Prov Certificate |

Date Time: 15-02-2024 01:06
Note By: RO(205)
Forwarded To: RO
Activity: Forward
Description:
Activity: Approved
Description: Provisional Certificate has been issued View Prov Certificate |
Activity: Approve
Description: Uploaded Certificate |

पंजीकृत / दस्ती दिनांक 12 फरवरी 2024

सेवामे,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड
ई–115 नेहरू कॉलोनी देहरादून–248001

विषयः– आपके पत्र संख्या यूकेपीसीबी / आरओडी / एनजीटी–46 / 2022–23 / 2122–1052 / दिनांक 16.08.2022 के कम मे सीवेज ट्रीटमेट प्लांट / बायोडायजेस्टर की स्थापना विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मेरे दिनांक 02 सितम्बर 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमे वर्णित विषयक के सापेक्ष मेरे द्वारा ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पश्चात सभी औपचारिकताये पूर्ण करा दी गयी थी। लेकिन आपके द्वारा यह कहकर उक्त संदर्भित फाईल वापस कर दी गयी कि "आपकी सम्पत्ति के स्वामित्व के बाबत मा0 न्यायालय एन0जी0टी दिल्ली मे केस विचाराधीन है। " जिसके क्रम मे आप स्वंय भिज्ञ है कि राजस्व विभाग, वन विभाग को संयुक्त निरीक्षण हुआ है जिससे स्पष्ट हो गया है कि उक्त वर्णित सम्पत्ति मेरे स्वामित्व के नियन्त्रणाधीन है तथा मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नही किया जा रहा है जिससे प्रदूषण एवं प्रकृति को नुकसान हो । इसके साथ ही आपके संज्ञान मे अनुरोध पूर्वक यह लाना है कि समस्त विभागो के द्वारा समय–समय पर किये स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त संदर्भित सम्पत्ति को मेरे स्वामित्व मे पाया गया है और मोघा रिसोर्ट संस्थान को चलाने बाबत समस्त विभाग स्वीकृति प्राप्त की गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करे , तथा भविष्य मे मा0 न्यायालय एन0जी0टी0 नई दिल्ली एवं आपके विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन प्रत्येक दशा मे किया जायेगा । आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये जा रहे है ।

संलग्न–उक्तानुसार ।

भवदीय

(सुरेन्द्र मोघा)
पुत्र स्व0 श्री पल्टूराम मोघा
स्वामी–मोघा रिसोर्ट वीरभद्र ऋषिकेश
पत्र व्यवहार का पता – गीता नगर हरिद्वार रोड
वीरभद्र ऋषिकेश जिला–देहरादून–249202
मो0 न0 9719000813

8

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः— 6297 /29—3(3), देहरादून, दिनांक— 04, दिसम्बर, 2023.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक—पी0ओ0/47, दिनांक—02.12.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या—305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक—29.09.2023 तथा आपके उपरोक्त पत्र के क्रम में दिनांक—03.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा देहरादून वन प्रभाग की ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत ग्राम वीरपुर खुर्द स्थित मोगा रिजोर्ट का निरीक्षण वन विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश, प्रभागीय सर्वेयर, वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश एवं क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग से राजस्व उप निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक भी मौके पर उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है:—

1. मोगा रिजोर्ट ऋषिकेश रेंज के वीरभद्र नामक स्थान पर स्थित ग्राम वीरपुर खुर्द के अन्तर्गत स्थित है।

2. वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा उक्त स्थल पर पूर्व में भी संयुक्त सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा माननीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक—29.09.2023 के क्रम में पुनः संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम वीरपुर खुर्द परगना—परवादून का खसरा नं0 94 घ रकबा 0.0450 है0, 94 ङ, रकबा 0.0810 है0 व 95 ख 0.0130 है0 कुल क्षेत्रफल 0.1390है0 भूमि को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश द्वारा वाद सं0 विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोगा बनाम सरकार में ज0वि0अधि0 की धारा 131ख के अनुसार उ0प्र0 जमी0 एवं भूमि व्या0 अधि0 1950 की धारा 122बी (4च) (अनुसूचित जाति) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए दिनांक—08.01.2021 को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं (आदेश की छायाप्रति संलग्नक—1)।

3. उपरोक्त मोगा रिजोर्ट का विगत वर्ष भी राजस्व एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि मोगा रिजोर्ट राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों एवं मौके की पैमाईश के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से बाहर है (स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक—2)। स्थलीय निरीक्षण समिति द्वारा विगत वर्ष किये गये संयुक्त निरीक्षण के मुख्य अंश निम्न प्रकार है:—

9

➢ "सर्वे शीट सं0–41 व 42 (वर्ष 1874–75, 1874–76) के आधार पर प्रदर्शित सीमा स्तम्भों के दिक्मान एवं सीमा स्तम्भों के मध्य दूरी को मापा गया। सीमा स्तम्भ संख्या को आधार मानकर उक्त समस्त रीडिंग को गूगल अर्थ पर डाला गया व एक Polygon K.M.L तैयार की गयी, जिसके अनुसार मौजा वीरपुर खुर्द मोघा रिजोर्ट पक्का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर पाया गया। मोघा रिजोर्ट आरक्षित वन सीमा के मिलान पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में पूर्व में भी जांच की गई थी। जिसके अनुसार भी ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश में निर्मित मोघा रिजोर्ट (पक्का निर्माण) आरक्षित वन सीमा से बाहर है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश जिला–देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता सं0–273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा0कले0 प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131 ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक–08.01.2021के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता सं0–260 के ख0न0–94घ रकबा 0.0450 है0 94 ङ रकबा 0.0810 है0 95 घ रकबा 0.0130 है0 कुल रकबा 0.1390 भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि0 ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है। राजस्व विभाग के अनुसार उक्त भूमि आरक्षित वन से बाहर है।"

4. स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वीरभद्र मंदिर को स्थिर बिन्दु मानते हुए राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सजरा शीट एवं वन विभाग के पास उपलब्ध सर्वे शीट संख्या–41 एवं 42 (वर्ष 1874–75, 1874–76) का मिलान करके अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की गयी, जिसमें यह पाया गया कि मोगा रिजोर्ट उपरोक्त राजस्व खसरा नम्बरान के अन्तर्गत ही निर्मित है तथा उसका कोई भी भाग आरक्षित वन क्षेत्र में निर्मित नहीं है (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्नक–3)।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी राजस्व अभिलेखों में 'खाला' के रूप में दर्ज है। उक्त रम्भा नदी का वह भाग जिसकी सीमा मोगा रिजोर्ट की सीमा से लगती हुई है, उसकी लम्बाई 91 मी0 एवं चौड़ाई लगभग 10 मी0 है तथा इसके दोनों तरफ बन्धे का निर्माण हो रखा है। स्थानीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बन्धे का निर्माण पुनर्वास खण्ड (ऋषिकेश), सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में किया गया है। इस प्रकार मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी का 91 मी0 भाग जो मोगा रिजोर्ट से सटा हुआ है वह पूर्ण रूप से राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द के खसरा नम्बर 94 क एवं 95 ग में स्थित है।

6. स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल के निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र जो कि रम्भा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है, का भ्रमण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के अवैध पातन का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेंज द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–410/27, दिनांक–03.12.2023 द्वारा रेंज कार्यालय में संधारित एच–1 पंजिका के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट किया है कि उक्त आरक्षित विगत वर्षो में भी निकटवर्ती आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, की गयी है (वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश के पत्र की प्रति संलग्नक–4)।

Rajiv

7. यह भी उल्लेखनीय है कि मोगा रिजोर्ट की सीमा आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2डी के मिलान पर स्थित है तथा रम्भा नदी मोगा रिजोर्ट की सीमा के उपरान्त आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2डी में लगभग 130 मी0 लम्बाई में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है।

निरीक्षण के दौरान राजस्व एवं वन अभिलेखों/नक्शों का अवलोकन करने तथा मौके पर पैमाईश करने से यह स्पष्ट हुआ कि मोगा रिजोर्ट का निर्माण निजी भूमि पर है तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर हैं। मोगा रिजोर्ट के समानान्तर रम्भा नदी राजस्व भूमि पर बह रही है तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है।

अतः जांच आख्या महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक– 6297 /29–3(3), तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

संयुक्त जांच आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक 82/12-1 पी०ए० दिनांक 03-09-2022 के क्रम मे मोघा रिसोर्ट निकट वीरभद्र मन्दिर ऋषिकेश के सम्बन्ध में दिनांक- 05.09.2022 को सर्वेक्षण समिति, वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश एवं क्षेत्रीय स्टाफ तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा स्थलीय संयुक्त जांच/सर्वेक्षण कार्य किया गया। उक्त पत्र के कम में प्रकरण की बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है

- ऋषिकेश रेंज के अन्तर्गत स्थित मोघा रिसोर्ट ग्राम वीरपुर खुर्द निकट वीरभद्र मन्दिर ऋषिकेश की विभाग मे उपलब्ध संसाधनों/अभिलेखों के अनुसार सर्वेक्षण/ स्थलीय जांच की गई। जांच के दौरान सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में मौके पर अवस्थित 12 सीमा स्तम्भों में से 1 सीमा स्तम्भ को दिखाया गया, जो क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला। दो नालों के मिलान पर होने से उसकी पुष्टि सीमा स्तम्भ संख्या 4 से की गई। उक्त सीमा स्तम्म की जी०पी०एस०- -N- 30°04'20.70"E- 078°16' 45.80" मौके से ली गयी। मौके पर आबादी (बसासत) होने के कारण कम्पास सर्वेक्षण किया जाना सम्भव नही हो पाया। इस क्षेत्र के आरक्षित वन से सम्बन्धित गजट (संलग्न) वर्ष 1910 एवं 1927 का भी संज्ञान लिया गया। गजट नोटिफिकेशन में स्थलीय स्थिति अस्पष्ट है। गजट में सीमा स्तम्भों की दूरी व दिशा प्रदर्शित नहीं है। बियरिंग उपलब्ध न होने के कारण गजट के अनुसार सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं हो सका। सर्वे शीट सं०-41 व 42 (वर्ष 1874-75, 1874-76) के आधार पर प्रदर्शित सीमा स्तम्भों के दिक्मान एंव सीमा स्तम्भों के मध्य दूरी को मापा गया। सीमा स्तम्भ संख्या- 04 को आधार मानकर उक्त समस्त रीडिंग को गूगल अर्थ पर डाला गया व एक polygon K.M.L तैयार किया गया। जिसके अनुसार मौजा वीरपुर खुर्द मोघा रिसोर्ट पक्का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर पाया गया। मोघा रिसोर्ट आरक्षित वन सीमा के मिलान पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सम्बन्ध में पूर्व में भी जांच की गई थी। जिसके अनुसार भी ग्राम वीरपुर खुर्द, तहसील ऋषिकेश में निर्मित मोघा रिसोर्ट (पक्का निर्माण)आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

- राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द, परगना परवादून, तहसील ऋषिकेश, जिला-देहरादून की खतौनी वर्ष 1426F से 1431F के खाता सं०-273 पर अंकित आदेश न्यायालय सहा.कले. प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार, मौजा वीरपुर खुर्द धारा 131 ख ज०वि०अधि० कार्यालय के आदेश दिनांक-08.01.2021 के अनुसार ग्राम वीरपुर खुर्द के खाता सं०-260 के ख.न.-94घ रकवा 0.0450 है० 94 ड रकवा 0.0810 है० 95 घ

रकबा 0.0130 हे0 कुल रकबा 0.1390 भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पलटूराम नि. ग्राम (अनुसूचितजाति) के उ0प्र0 ज0वि0अधि0 एंव भूमि व्यवसाय अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित होने के आदेश पारित है। राजस्व विभाग के अनुसार उक्त भूमि आरक्षित वन से बाहर है।

अतः उपरोक्तानुसार वन विभाग व राजस्व विभाग के द्वारा की गयी जांच से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषिकेश रेंज के अर्न्तगत ग्राम वीरपुर खुर्द, वीरभद्र मन्दिर के निकट जिस भूमि पर मोघा रिसोर्ट का पक्का निर्माण किया गया है वह आरक्षित वन सीमा से बाहर है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

SWAPNIL
RANGE FOREST OFFICER
RISHIKESH.

सुभाष चन्द्र वर्मा
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग

विशाल कुमार
सर्वेयर
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग

(सतीश चौधरी)
सर्वेयर
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(मनसाराम गौड)
वन दरोगा
वीरभद्र

रा. उ. नि.
क्षेत्र ऋषिकेश

ना0 नि0
अपालाक

15

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

माा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 (I.A. No 751/2023) विपिन नय्यर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश– 29.09.2023 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पत्रांक– 2473/29–3, दिनांक– 13.10.2023 तथा उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश के पत्रांक– 1231/एस0पी0ए0–विविध, दिनांक–03.11.2023 के क्रम में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा राजस्व नजरे पर दर्शित वीरभद्र मन्दिर को आधार (स्थिर बिन्दु) मानते हुए ग्राम वीरपुर खुर्द के अन्तर्गत स्थित मोगा रिजोर्ट का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण के उपरान्त आख्या निम्न प्रकार है:–

ग्राम वीरपुर खुर्द परगना–परवादून का खसरा नं0 94घ रकबा 0.0450 है0, 94 क रकबा 0.0810 है0 व 95 ख 0.0130 है0 कुल क्षे0 0.1390 है0 भूमि को न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोगा बनाम सरकार में ज0वि0अधि0 की धारा 131 ख के अनुसार उ.प्र. जमी. एवं भूमि व्या0 अधि0 1950 की धारा 122 बी (4 च) (अनुसूचित जाति) के अनुसार विनियमितीकरण करते हुए दिनांक–08.01.2021 को संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये गये हैं। स्थल पर मोगा रिजोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बरान में बना हुआ है। विनियमितीकरण से पूर्व उपरोक्त खसरा नं0 की भूमि श्रेणी 5(1) नई परती के रूप में दर्ज थी। मौके पर मोगा रिजोर्ट में कुल 16 कमरे, 2 हाल व 03 आवासीय कमरे बने हुए हैं। मोगा रिजोर्ट का समस्त निर्माण उपरोक्त 03 खसरों के अन्तर्गत है, तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है। मोगा रिजोर्ट के समानान्तर बह रही रम्भा नदी राजस्व अभिलेखों में पूर्व से खाला दर्ज है। मोगा रिजोर्ट की सीमा से लगती हुई रम्भा नदी की कुल लम्बाई 91 मी0 व चौडाई लगभग 10 मी0 है, जो ग्राम वीरपुर खुर्द के खसरा नं0 94 क व 95 ग के आंशिक भाग में बह रही है।

मोगा रिजोर्ट की सीमा समाप्त होने के उपरान्त रम्भा नदी आरक्षित वन क्षेत्र वीरभद्र कक्ष सं0–2 डी में लगभग 130 मी0 लम्बाई में बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। मोगा रिजोर्ट के मिलान पर आरक्षित वन वीरभद्र कक्ष सं0–2 डी स्थित है, किन्तु मोगा रिजोर्ट का समस्त निर्माण निजि भूमि पर है, तथा आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर है। नकल खतौनी (1426 से 1431) साथ में संलग्न है तथा रम्भा नदी को दर्शाता हुआ नक्शा भी साथ में संलग्न है।

Surveyor

SDO(R)

रा0 निरी0

रा.नि.
ऋषिकेश

उ.रा.
(...)
उप राजि.

R.O. Rishikesh

ईश्वरसिंह
वन क्षेत्राधिकारी

तहसीलदार
ऋषिकेश

नगर निगम ऋषिकेश

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश (देहरादून)।

Haridwar Road Rishikesh, Distt-Dehradun, Pin-249201

: www.nagarnigamrishikesh.com, : npprishikesh@gmail.com

: 0135-2430015, : 18003135292

पत्रांक 48 /सा0प्र0/2022–23

दिनॉकः 07 अप्रैल, 2022

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार मोघा पुत्र श्री पल्टू राम मोघा, मोघा रिजॉर्ट, वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश द्वारा नगर निगम में दिनांक 06.04.2022 को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका वीरपुरखुर्द में एक रिजॉर्ट है। उनके द्वारा इस हेतु खाता खतौनी की नकल जो कि सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टूराम मोघा के नाम दर्ज है, भी प्रस्तुत की गई है। इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि इस हेतु उनको इस आशय का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है कि मोघा रिसॉर्ट, वीरपुर्रखुर्द, नगर निगम की सीमान्तर्गत आता है, जिस पर अवर अभियन्ता, नगर निगम, ऋषिकेश से जांच कराई गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मोघा रिसॉर्ट, वीरपुर्रखुर्द, ऋषिकेश क्षेत्र नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के अन्तर्गत आता है।

अतः उक्त प्रमाण पत्र श्री सुरेन्द्र कुमार मोघा पुत्र श्री पल्टू राम मोघा, मोघा रिसॉर्ट, वीरपुर्रखुर्द, ऋषिकेश के पत्र दिनांक 06.04.2022 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

सहायक नगर आयुक्त,
नगर निगम, ऋषिकेश

प्रेषक

तहसीदार

ऋषिकेश।

सेवा में

उपजिलाधिकारी

ऋषिकेश।

पत्र सं0 597 /रा0का02015

दिनांक 28.05.2015

विषयः- उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा 122ख की उप धारा (4-च) के अनुसार विनियमितिकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक की आख्यानुसार मौजा बीरपुर खुर्द के खसरा 94ग रक्बा 0.0450हे0, खसरा न0 94ग मि.जु. रक्बा 0.081हे0, खसरा न0 95ख मि.जु. रक्बा 0.0130हे0 कुल रक्बा 0.1390हे0 भूमि नई फरती श्रेणी 5(1) में दर्ज है जिस पर प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टुराम निवासी बीरपुरखुर्द का 3 जून 1995 ई0 से पूर्व का कब्जा है, जिसमें 19 कमरें पक्के व दो टीन शैड निर्मित है शासनादेश सं0 341/एफ-1-10(2/13) दिनांक 14 सितम्बर 1995 एवं उत्तर प्रदेश जमिदरी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 क की उपधारा (4-च) के अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जाति के परिवार का सदस्य है तथा प्रार्थी के पास समस्त उत्तराखण्ड में इस भूमि को शामिल करते हुए 1.260हे0 से कम भूमि है, तथा प्रश्नगत भूमि उक्त अधिनियम की धारा 132 की भूमि नही है।

अतः राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक की उपरोक्त जांच आख्या संलग्न प्रारूप पर संस्तुति सहित प्रेषित है।

29/5/15

तहसीलदार

ऋषिकेश

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 045341 ग्राम का नाम / परगना : बीरपुरखर्द(परवादून) तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून फसली वर्ष : 1426-1431 भाग : 1

5-1/नवी परती (परती जदीद)

खाता खतौनी क्रम संख्या ---- 1 ---	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम/ निवास स्थान ---- 2 ----	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ---- 3 ----	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ---- 4 ----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ---- 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान ---- 6 ----	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---- 7-12 ----	टिप्पणी ---- 13 ----
00273	नई परती//		12ङ 17ग 20ख 31ख 35ग 35घ 40ङ 44ग 45ख 47ग 49ङ 52ख 55ख 56ग 64ग 64छ 65ङ 67ख 68ख 69ख 84घ 87ख 93ख 94घ 94ङ मि 95ख मि.	0.0560 0.0010 0.0100 0.0200 0.0120 0.0080 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0100 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0100 0.0110 0.0200 0.0100 0.0150 0.0200 0.0100 0.0050 0.0450 0.0810 0.0210	0.00	आदेशानुसार परगनाधिकारी ऋषिकेश ता0 फै0 26-4-07 आदेश हुआ कि ग्राम बीरपुर खुर्द के खाता स. 195 के ख.न.95मि रकबा0.004 हे.भूमि पर श्रीमति तेतरी देवी पत्नी हरिनाथ का नाम बतौर विनियमितिकरण आबादी असंक्रमणीय भूमिधर की हैसियत से श्रेणी 6 (2) अंकित किया जावे. (आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार उप-जिलाधिकारी ऋषिकेश दिनांक 4.10.06 के अनुसार ग्राम बीरपुरखुर्द के खाता सं0 222 के खसरा न0 222 के खसरा न0 95मि. रकबा 0.012है0 पर ग्राम समाज का नाम खारिज कर होकर आर.बी.जदली पुत्र स्व0 धनानन्द जदली नि.ग्राम का नाम असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज होवे।(आदेश पत्रावली से) आदेशानुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 01/2014-15 ग्राम बीरपुरखुर्द परगना परवादून 122(4)एफ कमला देवी बनाम सरकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2016 के आधार पर ग्राम ऋषिकेश के खाता सं0 260 फसली वर्ष 1420-1425 श्रेणी 5(1) नई परती के खसरा न0 95मि. रकबा 0.0050है0 भूमि श्रीमती कमला देवी पत्री सुरेशचन्द्र निवासी बीरपुरखुर्द के नाम असंक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज किय जाने के आदेश पारित किये गये (परवाना) आ.न्या.सहा.कले.प्रथम श्रेणी ऋषिकेश वाद सं0 विविध/2015 सुरेन्द्र कुमार मोघा बनाम सरकार मौजा बीरपुर खुर्द धारा 131ख ज0वि0अधि0 कार्यालय के आदेश दिनांक 08.01.2021 के अनुसार ग्राम बीरपुरखुर्द के खाता सं0 260 के खसरा नं0 94घ रकबा 0.0450हे, खसरा न0 94ङ रकबा 0.0810हे. खसरा न0 95ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390हे. भूमि से सुरेन्द्र कुमार पुत्र पल्टूराम नि0 ग्राम (अनुसूचित जाति) को उ0प्र0 ज0 वि0 एं0 भू0व्य0 अधि0 1950 की धारा 122बी (4च) के अनुसार विनियमितिकरण करते हुये संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर राजस्व अभिलेखों मे अंकित होवे. परवाने से पृ0 सं0 86 क्र0 11	
			26	0.3910			

कुल गाटे: दो छ: कुल क्षेत्रफल: शून्य दशमलव तीन नौ एक कुल भू-राजस्व: शून्य दशमलव शून्य शून्य

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांकसं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-46 /2022–23/2122 — 1052 दिनांकः 16/08/22

पंजीकृत डाक द्वारा।

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र मोगा, प्रबंधक,
मै0 मोगा रिसोर्ट,
वीरभद्र मन्दिर, ऋषिकेश,
देहरादून।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–305/2022 के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–566/2022/670, दिनांक 22.07.2022 प्राप्त निर्देशों के कम में अवगत होना चाहें कि प्रकरण पर दिनांक 06.05.2022 को संयुक्त कमेटी की जॉच आख्यानुसार आपके रिर्सोर्ट में कुल 16 कमरें व 02 हॉल के अतिरिक्त 04 आवासीय कमरें हैं। उक्त रिसोर्ट रिसोर्ट को पॉल्यूशन इंडेक्स के आधार पर ऑरेज कैटेगरी सूचीबद्ध किया गया है। मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 के अनुसार 20 कमरें या उससे अधिक कमरें वाले रिसोर्ट/होटल से जनित उत्पाद के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/बायोडायजेस्टर की स्थापना आवश्यक है।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि रिसोर्ट से जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट/बायोडायजेस्टर की स्थापना अविलम्ब की जाये। इस हेतु प्रस्तावित प्लांट की डिजायन डिटेल एवं कार्य पूर्ण करने की समय अवधि पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चत करें । बिना एसटीपी/बायोडायजेस्टर के रिसोर्ट के संचालन में पाये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणयी क्षतिपूर्ति आरोपित की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(डा0राजकुमार चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

GSTIN No. 05AIFPB5574P1ZY

GST INVOICE

R.S. CONSTRUCTION CO.

Mb.: 9837108897

SHANKAR BALRAM SEPTIC LATRINE TANK

State : Uttarakhand
State Code : 05

Head Office : 255, East Amber Talab, Roorkee - 247 667 (Haridwar) U.K.
Branch Office : B-5, Indira Nagar, Visthapit Colony, Rishikesh - 249201 (U.K.)
E-mail : rajneelcreation@gmail.com, Website : www.batraconstruction.com

Invoice No. 118

Date 02-09-2022

Consignee

Name : Mogha Resort.

Address : Virpur Khend, Veerbhadra Rishikesh.

State : Uttarakhand.

GSTIN : ——

Veichle No. :

State Code : 05.

SL. NO.	DESCRIPTION OF GOODS	GST @	QTY.	RATE	AMOUNT	GST Rs. SGST	CGST	IGST	TOTAL
1.	Supply of 50 uses/day capacity Biodigester by installing R.C.C pipe - 1200mm Dia(I.D.), 2500 mm Depth and 600mm Dia I.D 2500mm Depth with labour & installation	18%	1 No.	60,000/-	60,000=-	5400	5400	—	70,800=-

Rupees (in words) Seventy thousand Eight Hundred Only

Amount	60,000=-
Add : CGST	5400=-
Add : SGST	5400=-
Add : IGST	—
Other Charges/Freight	—
G.Total	70,800=-

TERMS & CONDITION :
1. Subject to Roorkee Jurisdiction
2. Goods once sold will not be taken back
E. & O.E.

For R.S. Construction Co.

[signature]

Auth. Signatory

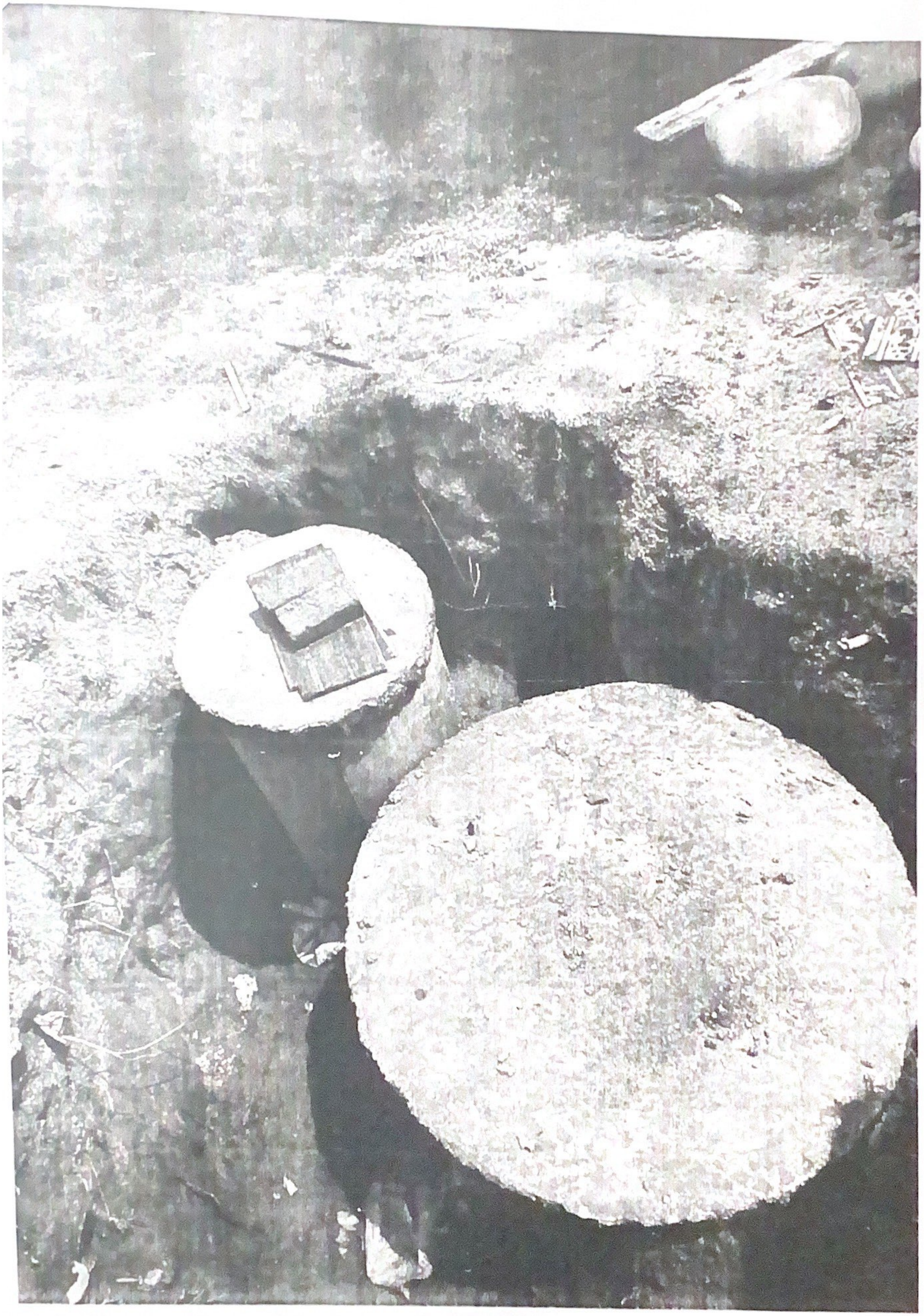

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK87956480334230U
Certificate Issued Date	:	06-Jun-2022 11:39 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1207304/ RISHIKESH/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120730480826441337587U
Purchased by	:	SURENDRA MOGHA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	-
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SURENDRA MOGHA
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SURENDRA MOGHA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND, INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

Smt. S. Bisht Stamp Vendor Court Compound Rishikesh

S. N 1710
06/6/2022

Please write or type below this line

शपथ–पत्र

समक्ष :– श्रीमान् क्षेत्राधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय ई–115, नेहरू कॉलोनी, धर्मपुर देहरादून जिला देहरादून।
शपथपत्र ओर से :– श्री सुरेन्द्र मोघा पुत्र श्री पी0आर0 मोघा निवासी– मोघा रिसोर्ट, वीरपुरखुर्द वीरभद्र ऋषिकेश जिला देहरादून।

-2-

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

-2-

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-

1- यहकि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम एवं पता सत्य एवं सही है।

2- यहकि शपथकर्ता ने आपके कार्यालय से एन0ओ0सी0 के लिये ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है। जिसके सम्बन्ध आपके कार्यालय द्वारा क्वैरी मांगी गई है कि शपथकर्ता की भूमि का 143 अकृषक भूमि नहीं है।

3- यहकि शपथकर्ता ने 143 अकृषक भूमि के लिये आवेदन कर दिया है अभी 143 अकृषक भूमि बन्द है जब भी शपथकर्ता की भूमि 143 अकृषक भूमि हो जायेगी तो शपथकर्ता 143 अकृषक भूमि के दस्तावेज आपके कार्यालय में स्वयं जमा कर देगा।

सत्यापन :-

शपथकर्ता.........

मैं उपरोक्त शपथकर्ता आज दिनांक 06.06.2022 को स्थान ऋषिकेश जिला देहरादून मे पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता.........

This Affidavit is sworn before
Shri. Sudhanshu Mogha
who is identified by
Rishikesh on 06/6/2022

G D KUKIYAL
Advocate & Notary
Reg. No -3(01)200
Tehsil Rishikesh
Distt Dehradun

सेवामे,

दिनांक 06 जून 2022

उप जिलाधिकारी
तहसील – ऋषिकेश देहरादून–249201

विषयः– भूमि के भू–उपयोग परिवर्तित (143) करने हेतु प्रार्थना पत्र ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरी मौजा वीरपुर खुर्द ऋषिकेश मे खाता संख्या 260 खसरा न0 94 घ रकबा–0.0450 हे.खसरा न0 94 ड.रकबा 0.0810 हे. खसरा न. 95 ख रकबा 0.0130 कुल रकबा 0.1390 बतौर संक्रमणीय भूमिधर मेरे नाम दर्ज है जो आबादी मे तथा इस भूमि पर मेरे भवन का निर्माण कार्य किया हुआ है जिसका मै भू उपयोग परिवर्तन (143) कराना चाहता हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्तानुसार मेरी भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन (143) कराने का कृपा करे , सुलभ सन्दर्भ हेतु भूमि की खसरा खतौनी संलग्न है ।

संलग्न– उक्तानुसार ।

भवदीय

(सुरेन्द्र मोघा)
पुत्र स्व0 श्री पल्टूराम मोघा
पत्र व्यवहार का पता – गीता नगर हरिद्वार रोड
वीरभद्र ऋषिकेश जिला –देहरादून–249202
मो0 न0 9719000813

कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश उत्तराखण्ड जनपद देहरादून
6/6/22

Regional Office
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehra Dun
E-mail : roueppcb@gmail.com,
Phone No.-0135-3593200

UTTARAKHAND UKPCB

LiFE Lifestyle For Environment

Annexure No. 2

UKPCB/ROD/Con/DDN.- 2089 /2023-24/ 4801- 1955 Date: 13/02/2024

REGD. POST

To,

M/s Mogha Ji Resort
Veerpur Khurd, Veerbhadra
Rishikesh
Distt. Dehradun.

Consolidated Consent to Operate and Authorization hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2) of the "Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

Application No. 2672936 Date: 02.06.2022

CCA is hereby granted to **M/s Mogha Ji Resort** at located **Veerpur Khurd, Veerbhadra, Rishikesh Distt. Dehradun** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted up to 31.03.2024** and valid for manufacturing of following products with **Capital Investment / Net Assets Values ` 50.0 Lakhs**:-

S. No.	Last CTE Operation of		Present CCA (Fresh) Operation of	
1			Hotel Rooms	19 Nos.
2			Restaurant	1 Nos.

2. **Specific Conditions under Water Act:**
   (i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD)** :-

	Last CTE	Present CCA (Fresh)
Trade Effluent	-	Nil
Sewage	-	5.0 KLD

   (ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :** NIL.
   (iii) **Sewage Treatment and Disposal:** The applicant shall provide comprehensive treatment and disposal facility for the treatment of domestic waste water as per norms through Biodigester.

3. **Conditions under Air Act :-**
   The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as is required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards :

S. No	Stack attached with	Stack height (Mt)	Type of Fuel	Fuel Quantity KLD/MTD	Emission Control Equipment	Emission standards not to exceed
1.	D.G. Set (62.5 KVA)	1.0	HSD	.	Acoustic Enclosure	-

*In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be **stopped immediately** and this **Board** has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.*

(ii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time	Day time	Night time
	75	70	65	55	55	45	50	40

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under HW Rules :-**

(i) Number of authorization and date of issue : ---------------------------

(ii) The **Factory Manager** of **M/s Mogha Ji Resort** is hereby granted an authorization to operate a facility for collection and storage of Hazardous wastes.

(iii) The authorization is granted to operate a facility for generation, collection and storage of hazardous wastes within factory premises for following category of wastes.

S.No.	Category (Schedule-I & Schedule-II)	Quantity of Waste for which authorization is being issued (MTA)	Mode of Disposal
1	Schedule I – 5.1	0.001	Store in MS Drum, Recyclable

(iv) The authorization shall be in force for **31.03.2024.**

(v) The authorization is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environment (Protection) Act, 1986.

Terms and conditions of authorization:

(i) The authorization shall comply with the provisions of the **Environment (Protection) Act**, 1986, and the rules made thereunder.

(ii) The authorization and its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorized by the SPCB/PCC.

(iii) The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the SPCB/PCC.

(iv) Any unauthorized changes in personnel, equipment as working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

(v) It is the duty of the authorized person to take prior permission of the SPCB/PCC to close down the facility.

(vi) An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down under these rules.

(vii) The unit shall comply with any other conditions specified in the guidelines issued by the MoEF or CPCB/SPCB from time to time.

5. This CCA is valid for Operation of **Hotel & Restaurant** only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit** :-

   (i) Annual return in **Form-4** and **Waste Disposal Manifest** in **Form-13** under **HW Rules** and **Third Party Audit Report**.

   (ii) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986**.

   (iii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area**.

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other general conditions as annexed herewith. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the **Water Act, Air Act** and **HW Rules** will results in legal action under the aforesaid **Acts and Rules**.

Regional Officer (I/c)

Copy to: **Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** for kind information please.

Regional Officer (I/c)

Annexure

Specific Conditions:

1. The applicant shall submit audited balance sheet of the unit at the end of each financial year so that fee submitted by the applicant could be assessed.
2. A solid waste generated from the hotel has to be disposed in manner so that contamination of surface water bodies/ground water/soil etc. does not take place.
3. The hotel shall take adequate measures to control of noise from its own source so as to comply with the standards as may be applicable.
4. The hotel shall develop green belt within the premises.
5. **Hotel will ensure that its kitchen waste/agro waste (biodegradable waste) will be disposed through composting.**
6. The hotel shall strictly adhere with the specific and general conditions issued with CCA order. Any violation of stipulated conditions may attract legal action under the provisions of **Water Act, Air Act** and **Environment (Protection) Act** and **Rules** made thereunder.
7. The hotel shall ensure **all safety measures** and shall undertake **periodical assessment** by the competent authority.
8. **This consent is valid for Operation of Hotel Rooms 19 Nos., & 01 Restaurant only. If any change in hotel unit, must be obtained CTE/COP as per rule.**
9. **The solid waste shall be disposed as per Solid Waste Management Rule-2016.**
10. **The waste water generated from the hotel should be treated and disposed as per norms applicable.**
11. **The time to time direction issued by Hon'ble Court, MoEF CC, State Government, CPCB, SPCB will be applicable on the hotel.**
12. **In case of any complaint received against hotel and found correct, this CCA order may be revoked.**
13. **This consent is subject to final order/judgement of Hon'ble NGT under OA No. 305/2022**

General Conditions:

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoE&F and shall report to the UEPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP's/ETP's inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control measures.
7. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.

10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
12. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
13. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without obtaining prior permission of the **Board.**
14. Any unauthorized change in personnel, equipment as working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.
15. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the **Board** to close down the facility.
16. The authorization is valid for temporary storage of Hazardous Waste within premises only.
17. The authorized agency shall ensure that on-line data with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being used in the plant as well as air emission and waste generated within premises is displayed on **Display Board of size 6x4 feet** out side the main factory gate within premises.
18. It is duty of the authorized person to take prior permission of this Board to close and cleanup the facility for treatment, storage and disposal of hazardous waste.
19. The applicant shall maintain record of hazardous waste in **Form-3** and shall submit annual return in **Form-4** on or before the 30^{th} day of June following to the financial year to which that return relates.
20. In case of any accident, complete details in the light of **Form-14** of the Hazardous Rules shall be submitted to this Board at the earliest.
21. In no case any hazardous waste shall be disposed off on land, in any drain, or into any water stream. All spillage must also be safely collected and stored.
22. Before the hazardous waste is stored or dumped in the facility, applicant must conduct a detailed **physical and chemical analysis of hazardous waste sample** and report to the **Board.**
23. Dried hazardous sludge from the process in the plant shall be **stored in double lined HDPE pit constructed with R.C.C. or such material which does not react with the waste contained in it.**
24. The storage area should be fenced properly and Sign/Notice Board indicating 'Danger' and **'Hazardous'** shall be displayed at appropriate position both in Hindi and English.
25. The industry shall store non-ferrous metal waste, used oil/spent oil waste in sealed drums placed on impervious floor under covered shed. Hazardous waste if required shall be **sold only to Registered Recyclers/Re-processors.**
26. In case of any transportation of hazardous waste, the details in **Form-13** of the **Hazardous Rules** shall be submitted to the **Board**.

Regional Officer (I/c)

Annexure No. 3

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–566 / 2024 / 1535

दिनांक 02.03.2024
एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 मे योजित मूल आवेदन सं0–305 / 2022 (I.A. No. 854/2023, I.A. No. 751/2023, I.A. No. 215/2022, & I.A. No. 149/2022) Vipin Nayyar Vs. Union of India & Ors. के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 305 / 2022 (I.A. No. 854/2023, I.A. No. 751/2023, I.A. No. 215/2022, & I.A. No. 149/2022) Vipin Nayyar Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अन्य निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

21. In view of the facts and circumstances of the case, involvement of questions regarding the very nature of the land in question, provisions made in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating this Tribunal to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010 the Project Proponent is directed not to carry on commercial activities in the Moga Resort and CTO dated 12-02-2024 granted by UKSPCB shall remain in abeyance till further orders to the contrary.

22. The District Magistrate, Haridwar and the Senior Superintendent of Police, Haridwar Shall ensure that no commercial activities are carried out in Moga Resort till further orders to the contrary.

प्रकरण M/s Mogha Resort, Veerpur Khurd, Veerbhadra, Rishikesh, Distt Dehradun से सम्बन्धित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–566 / 2024 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
सदस्य सचिव